न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0पत्र संख्या - 25/2021
दायरा दिनांक - 25.06.2021
निर्णय दिनांक - 6-8-21

उनवान

1. रामवतार पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी नांगललाखा तहसील बानसूर जिला अलवर

-- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बानसूर,

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. प्रार्थी - श्री बाबूलाल यादव एड.
2. अप्रार्थी - पैरोकार सरकार

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 1.66 हैक्ट., के साबिक खसरा नम्बर 262 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा नांगललाखा तहसील बानसूर से दौराने बन्दोबस्त सम्वत 2060 से बने है। जिसकी ताईद में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 मौजा नांगललाखा पेश है। विवादित आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है और बन्दोबस्त विभाग के राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी सम्वत 2060 बनाते समय विवादित आराजी के खाता संख्या 27 में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गणपतराम, रामवतार पुत्रान शंकर के बजाय गणपतराम रामवतार दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2056 के खाता संख्या 26 में प्रार्थी के पिता का नाम गणपतराम, रामवतार पुत्रान शंकर दर्ज है जो सही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थी के पिता का नाम शंकर के स्थान पर भंवर दर्ज कर दिया जिस गलत इन्द्राजात से प्रार्थी व उसके भाई गणपतराम के अधिकारो का हनन हो रहा है जिसे दुरूस्त किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शुद्धि की जावें।

6.8.2021
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के पिता का नाम शुद्ध करते समय राज्य हित को ध्यान में रखते हुए विधि संगत आदेश पारित किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। संवत 2056 की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम शंकर ही दर्ज है। उक्त जमाबंदी के आधार पर ही आगे की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी के पिता का नाम शंकर ही दर्ज करना चाहिए था परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा संवत 2060 की जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी के पिता का नाम शंकर के स्थान पर भंवर नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के व उसके भाई के आधार कार्ड व उसके पहचान पत्र में भी उसके पिता का नाम शंकर ही दर्ज है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 368 रकबा 1.66 हैक्ट., वाके मौजा नांगललाखा तहसील बानसूर में दर्ज प्रार्थी व उनके भाई के पिता का नाम गणपतराम, रामवतार पुत्रान भंवर के स्थान पर गणपतराम, रामवतार पुत्रान शंकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला-अलवर
6.8.2021
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 6-8-21 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला-अलवर
6.8.2021
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner